

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)**

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुजे रणेहल नागा आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 30/2021 GCMS NO 2021/101

दायरा तिथि : 25.08.2021

आदेश तिथि : 27-6-2022

**प्रार्थीगण :-**

1. मनमोहन सिंह पुत्र मेघसिंह राजपूत निवासी कोटडा
2. डूंगरसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत निवासी भागली
3. रघुनाथराम पुत्र भबुताराम लुहार निवासी बेडल

**ब न म**

**अप्रार्थी :-**

राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम,  
2012 बाबत राजकीय भूमि में से रास्ता उपलब्ध कराने**

**आदेश**

दिनांक 27-6-2022

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि मौजा बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1282/1 रकबा 0.8800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा बिसलपुर के खसरा नंबर 1282 रकबा 17.32 हैक्टर किस्म बारानी दोयम प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/pt/7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बिसलपुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/1017 दिनांक 11.04.2022 से रिकॉर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1282/1 रकबा 0.8800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि प्रार्थीगण मनमोहन सिंह पुत्र मेघसिंह राजपूत निवासी कोटडा, डूंगरसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत निवासी भागली, रघुनाथराम पुत्र भबुताराम लुहार निवासी बेडल के नाम से सहखातेदारी की दर्ज हैं। खातेदार की धारित सहखातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं हैं।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1282	17.32 हैक्टर	बा.दो.	68 X 4.58 = 311.44 वर्गमीटर (0.0311 हैक्टर)	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बिसलपुर की डी.एल.सी.दर 148140/- रुपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नहीं है। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षेत्रफल में से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशांषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार—2

//2//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 30/2021 GCM5 NO 2021/191

अनवान मनमोहनसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली  
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थीगण के सहखातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/1017 दिनांक 11.04.2022 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि मौजा बिसलपुर के खसरा नंबर 1282/1 रकबा 0.8800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा बिसलपुर के खसरा नंबर 1282 रकबा 17.32 हैक्टर बारानी दोयम में से  $68 \times 4.58 = 311.44$  वर्गमीटर रास्ता नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

नाम ग्राम	ख.न.	कुल क्षेत्रफल (हैक्टर)	किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षेत्रफल	डीएलसी दर 230040/- रुपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)
बिसलपुर	1282	17.32 हैक्टर	बा.दो.	$68 \times 4.58 = 311.44$ वर्गमीटर (0.0311 हैक्टर)	14.814 रुपये प्रति व.मी	9227.34

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार 9227.34 पुर्णांक 9227/- (अक्षरे नौ हजार दो सौ सताईस रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष में जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

( सुश्री धायगुडे स्नेहला नाना )

आई.ए.एस.

पदेन सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रांक : कोर्ट/2022/2210-44

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक बिसलपुर
3. पटवारी हल्का बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री मनमोहन सिंह पुत्र मेघसिंह राजपूत निवासी कोटडा, झूंगरसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत निवासी भागली, रघुनाथराम पुत्र भबुताराम लुहार निवासी बेडल को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

पदेन सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बाली